(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग चार में प्रकाशनार्थ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार (प्रशासनिक सुधार विभाग)

सातवां तल, सी विंग, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली-110002

सं0 फा0 17/14/03-प्र0सु0/557-716/८ दिनांक 16/01/12

प्रकृति । अधिसूचना

सं0 फा0 17/14/03-प्र0सु0 इस विभाग की दिनांक 3 अक्टूबर, 2001 की अधिसूचना सं0 फा0 17/06/2001/प्र0सु0 अद्यतन यथा संशोधित के आंशिक आशोधन में तथा दिल्ली सूचना अधिकार अधिनियम 2001 (2001 का दिल्ली अधिनियम सं0 7) की धारा 2 के खंड(क) एवं (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा उनके नियंत्रणाधीन विभागों / स्वायत्त निकायों / स्थानीय निकायों / उपक्रमों के संबंध में उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ यहां संलग्न परिशिष्ट—। तथा परिशिष्ट-।। में निम्नलिखित संशोधन / सम्मिलन करते हैं, अर्थात:-

I. दिनांक 03.10.2001 की अधिसूचना की परिशिष्ट-। में, निम्न इस प्रकार प्रतिस्थापित होंगेः अर्थात :-

	The state of the s	
क्रम	विभाग का नाम	सक्षम प्राधिकारी
सं0	कक्ष) लामकारी प्ररियोजन	
09.	कला महाविद्याालय	प्रिंसिपल
14.	दिल्ली इंजीनियरिंग कालेज/	सयुंक्त पंजीयक
1位	दिल्ली प्रौद्योगिकरण विश्वविद्यालय	
24.	शिक्षा विभाग	अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन),
	ा किला भूगेर म	मुख्यालय, पत्राचार, विज्ञान एवं
	कार्यमा अस्ति ।	टेलीविजन, खेल, शारीरिक शिक्षा व
Ly man	harm by mortal	अन्य मामले जो सम्बंधित जिलों के
	ंबंधित सामलों से	अंतर्गत नहीं आते।
100 100	ा (सी.एस.दी.) क	अतिरिक्त निदेशक (एक्ट) सह्यता
	विभाग से सम्बद्धित मानतो	प्राप्त व गैर सहायता प्राप्त स्कूलों से
		सम्बंधित मामलों में।
29.	खाद्य एवं सम्भरण विभाग	अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन)
68.	समाज कल्याण विभाग	निदेशक, समाज कल्याण विभाग

II. दिनांक 03.10.2001 की अधिसूचना की परिशिष्ट-। में, निम्न इस प्रकार सम्मिलित होंगे: अर्थात :-

GI-I- OI	1131	
क्रम	विभाग का नाम	सक्षम प्राधिकारी
सं0	विधाय से सम्बंधित नामलो	
79.	आचार्य श्री भिक्क्षु सरकारी अस्पताल	चिकित्सा अधीक्षक
80.	अत्तर सेन जैन नेत्र एवं समान्य अस्पताल	चिकित्सा अधीक्षक
81.	बाबू जगजीवन राम मेमोरियल अस्पताल	चिकित्सा अधीक्षक
82.	भगवान महावीर अस्पताल	चिकित्सा अधीक्षक
83.	डा० हेडगेवार आरोग्य संस्थान, कड़कड़डूमा	चिकित्सा अधीक्षक
84.	डा० एन.सी. जोशी मेमोरियल अस्पताल	चिकित्सा अधीक्षक
85.	गुरू गोबिन्द सिंह सरकारी अस्पताल	चिकित्सा अधीक्षक
86.	जग प्रवेश चन्द्र अस्पताल	चिकित्सा अधीक्षक
87.	लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल	चिकित्सा अधीक्षक
88.	महाऋषि बाल्मिकी अस्पताल	चिकित्सा अधीक्षक
89.	मीलान आज़ाद इंनस्टीटयूट ऑफ डेन्टल साईन्स	निदेशक प्रिंसिपल

90.	पं0 मदन मोहन मालवीय अस्पताल	चिकित्सा अधीक्षक
91.	राजीव गांधी अति विशिष्ट अस्पताल	चिकित्सा अधीक्षक
92.	राव तुला राम मेमोरियल अस्पताल	चिकित्सा अधीक्षक
93.	सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल	चिकित्सा अधीक्षक
94.	सत्यवादी राजा हरीश चन्द्र अस्पताल	चिकित्सा अधीक्षक
95.	महिला एवं बाल विकास	निदेशक, महिला एवं बाल विकास

III. दिनांक 03.10.2001 की अधिसूचना की परिशिष्ट—।। में, निम्न इस प्रकार प्रतिस्थापित / सम्मिलित होंगेः अर्थात :—

क्रम	विभाग का नाम	सक्षम प्राधिकारी
सं0	यथा संशोधित के आंशिक आयोगन में	
38.	दिल्ली नगर निगम	उपायुक्त (भूमि एवं सम्पदा), भूमि
	स्रांभा करते हुए राष्ट्रीय राज्यानी क्षेत्र	
fensy\1	निसंजणाचीन विभाग रवायव विकास	
T - 7	अवितयम के अयोजान वा अविवास	
	र समिमलान करते है अधि	फैक्ट्री लाइसंसिंग विभाग से
		सम्बंधित मामलों में।
Answell.	प्राक्तम अन्य हमारी हैं। -अगरीप्रीय की प्राकार	उपायुक्त (सी.एल एवं ई.सी.),
		केन्द्रीय लाइसंसिंग एवं प्रवर्तन कक्ष
		से सम्बंधित मामलों में।
	MANAGE PASE	उपायुक्त (लाभकारी परियोजना
		कक्ष), लाभकारी परियोजना कक्ष से
	ामहीति	सम्बंधित मामलों में।
	JOPAN STORY	उपायुक्त (टोल टैक्स), टोल टैक्स
	IVR	विभाग से सम्बंधित मामलों में।
(FRASK)		उपायुक्त (विज्ञापन), विज्ञापन विभाग
y FI	्राज्यान्य प्रज्ञातः वि	से सम्बंधित मामलों में।
		मुख्य निदेशक (डी.ई.एम.एस.)
P (P)	Higher IV Cana See	स्वच्छता एवं सफाई विभाग से
	The Bellink	सम्बंधित मामलों में।
	(SP9) dat are pt 1000	निदेशक (सी.एस.डी.), समुदाय सेवा
y Hogay	निमास महाभाषाच्या १० व व्यापा ।	विभाग से सम्बंधित मामलों में।
	(FINIOR) BALTA FASTOR	मुख्य श्रम कल्याण अधिकारी, श्रम
	्रिकाम्बर्क विकास स्थापन । राज्यात्राक्षेत्र कार्यात्राच्या	कल्याण विभाग से सम्बंधित मामलों
1711	all alleges (2 x) , where i	में।
RIPS TO	अवस्य की वासीशिष्ट-। में निम्न इस प्रकार	निदेशक (पी एंड एस), पी एंड एस
		विभाग से सम्बंधित मामलों में।
	राक्षभ प्राधिकारी	निदेशक (पी एंड आई), पी एंड आई
		विभाग से सम्बंधित मामलों में।
	लाज विकित्सा अधीक्क	निगम सचिव, निगम सचिव के
	अस्पताल चिकित्स अधीक्षक	कार्यालय से सम्बंधित मामलों में।
	स्पताल विकित्सा अधीक्षक	आयुक्त के सचिव, आयुक्त
	विकित्सा अधीक्षक	कार्यालय से सम्बंधित मामलों में
_	कडकंडदुमा चिकित्सा अवोक्षक	अतिरिक्त उपायुक्त (मुख्यालय),
	तातः विकित्सा अधोक्षक	
	कानीयह ११५७की है।	न देखे गए हों।
	र क्राइरीमहः ॥५७वरीहर	निदेशक (कार्मिक), स्थापना विभाग
	चित्रकेलमा अधीक्षक	से सम्बंधित मामलों में
44.	दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड	निदेशक (प्रशासन)

45.	सेंट जोन ऐम्बुलेंस ब्रिगेड	निदेशक (स्वास्थ्य सेवाऐं) / पदेन आयुक्त (सेंट जोन ऐम्बुलेंस ब्रिगेड)
46.	सुश्रता ट्रॉमा सेन्टर	चिकित्सा अधीक्षक

IV. दिनांक 03.10.2001 की अधिसूचना की परिशिष्ट-।। में, निम्न इस प्रकार हटाये जाएंगेः अर्थात:-

जनातः		
क्रम सं0	विभाग का नाम	सक्षम प्राधिकारी
38.	दिल्ली नगर निगम	अतिरिक्त आयुक्त (स्लम एवं जे.जे.) स्लम एवं जे.जे. विभाग से सम्बंधित मामलों में
	Charles of the second control of the second	अतिरिक्त आयुक्त (राजस्व) भूमि एवं सम्पदा विभाग, फैक्ट्री लाईसंसिंग विभाग, लाभकारी परियोजना कक्ष, टोल टैक्स विभाग, विज्ञापन विभाग से सम्बंधित मामलों में
		निदेशक (सी.एस.ई.) स्वच्छता एवं सफाई विभाग से सम्बंधित मामलों में अतिरिक्त आयुक्त (मुख्यालय), श्रम कल्याण विभाग, समुदाय सेवा विभाग तथा अन्य सभी सम्बंधित मामले जो किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा न देखे गए हों।
		अतिरिक्त आयुक्त (अभियांत्रिक) केन्द्रीय स्थापना विभाग से सम्बंधित मामलों में

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से और उनके ताम पर,

> (डॉ० एम. एम. कुट्टी) प्रधान सचिव (प्रशासनिक सुधार)

प्रतिलिपि निम्न को अग्रसारित:-

 समस्त प्रधान सचिव/सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/अतिरिक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार।

2. समस्त विभागाध्यक्ष, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार।

3. समस्त स्थानीय निकाय/स्वायत्त निकाय/उपक्रम तथा दिल्ली सरकार के स्वामित्व या द्वारा पोषित अन्य संस्थाएं।

4. प्रधान सचिव, उपराज्यपाल / प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री / मंत्रियों के सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार।

5. मुख्य सचिव के विशेष कार्याधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र,दिल्ली सरकार।

6. उप सचिव (समन्वय), समन्वय शाखा, सामान्य प्रशासन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, को दिल्ली राजपत्र में प्रकाशनार्थ।

7. लाईब्रेरियन, दिल्ली विधान समा, दिल्ली।

सीमा हावा (सीमा बावा)

उपनिदेशक (प्रशासनिक सुघार)

दूरभाषः 23392422

(TO BE PUBLISHED IN PART-IV OF DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)

Government of National Capital Territory of Delhi
(Administrative Reforms Department
7th Level, C-Wing, Delhi Secretariat, I.P. Estate, New Delhi-110002.

No. F.17/14/03-ARI 557 -716/C

Delhi the 16 01 12

2012

NOTIFICATION

No. F.17/14/03-AR/ - In partial modification of this Department's Notification No. F.17/6/2001/AR, dated 3rd October, 2001 as amended up-to-date, and in exercise of the powers conferred by clause (a) and clause (c) of section 2 of the Delhi Right to Information Act 2001 (Delhi Act No. 7 of 2001), the Lt. Governor of the Government of National Capital Territory of Delhi hereby makes the following amendments/additions in Annexure-I and Annexure II appended thereto for the purpose of the said Act, in respect of the Departments/Autonomous Bodies/Local Bodies/Undertakings under its control, namely:-

I. In Annexure-I to the notification dated 03/10/2001, the following shall be substituted, namely:-

S.No.	Name of the Department	Competent Authority
09.	College of Art	Principal
14.	Delhi College of Engineering/ Delhi Technological University	Joint Registrar
19540	Education Department	Additional Director (Admn.) in respect of matters related to Head Quarter, Patrachar, Science & TV, Sports, Physical Education and issues other than those covered by respective districts.
710	of maders relating to Sanita De arment Director (CSD) in respect of mar	Additional Director (Act) in respect of matters relating to aided and unaided schools.
29.	Food & Supplies Department	Additional Commissioner (Admn.)
68.	Department of Social Welfare	Director, DSW

II. In Annexure-I to the notification dated 03/10/2001, the following shall be added, namely:-

S.No.	Name of the Department	Competent Authority
79.	Acharya Shree Bhikshu Government Hospital	Medical Superintendent
80.	Attar Sain Jain Eye and General Hospital	Medical Superintendent
81.	Babu Jagjivan Ram Memorial Hospital	Medical Superintendent
82.	Bhagwan Mahavir Hospital	Medical Superintendent
83.	Dr. Hedgewar Arogya Sansthan, Karkardooma	Medical Superintendent
84.	Dr. N.C. Joshi Memorial Hospital	Medical Superintendent
85.	Guru Gobind Singh Government Hospital	Medical Superintendent
86.	Jag Pravesh Chandra Hospital	Medical Superintendent
87.	Lal Bahadur Shastri Hospital	Medical Superintendent
88.	Maharishi Balmiki Hospital	Medical Superintendent

89.	Maulana Azad Institute of Dental Science	Director Principal
90.	Pt. Madan Mohan Malviya Hospital	Medical Superintendent
91.	Rajiv Gandhi Super Speciality Hospital	Medical Superintendent
92.	Rao Tula Ram Memorial Hospital	Medical Superintendent
93.	Sardar Vallabh Bhai Patel Hospital	Medical Superintendent
94.	Satyawadi Raja Harish Chander Hospital	Medical Superintendent
95.	Women & Child Development	Director, WCD
	MULIAJIN	I SAMI

III. In Annexure-II to the notification dated 03/10/2001, the following shall be substituted/added, namely:-

S.No.	Name of the Department	Competent Authority
38.	Municipal Corporation of Delhi	Deputy Commissioner (L&E) in
	Talley (1) (1)	respect of matters relating to L&E
	makes the following a region arrangem	Department
	reto for the purpose contract and rot ofer	D () (F/I)
		respect of matters relating to
	Local Bodies/Undertalongs was an or	Factory Licensing Department
		Deputy Commissioner (CL & EC) in
		respect of matters relating to
	n dated 03/10/2001, the following in	Central Licensing & Enforcement
		Cell Syleman assessed
		Deputy Commissioner (RP Cell) in
	Competent Authority	respect of matters relating to RP
	legionii	
		Cell
	and the second second	Deputy Commissioner (Toll Tax) in
	h military Disserting Advant	respect of matters relating to Toll
	and the state of t	Tax Department
	a consult reported	Deputy Commissioner (Advt.) in
	vertexue di legionelli annue	respect of matters relating to
	REMODELL REPORT TO THE	Advertisement Department
	Stevo asom men in the	Director in Chief (DEMS) in respect
		of matters relating to Sanitation
		Department
	Col. breat col.	Director (CSD) in respect of matters
		relating to Community Services
	mast shortan or of the	Department
		Chief Labour Welfare Officer in
		respect of matters relating to
	dated D3/19/2009, one following store	Labour Welfare Department
		Director (P&S) in respect of matters
		relating to P&S Department
	STORY OF BUILDINGS	Director (P&I) in respect of matters
	1000 0000	relating to P&I Department
		Municipal Secretary in respect of
		matters relating to Municipal
		Secretary Office
		Secretary to Commissioner in
	inshormouse (2)	respect of matters relating to
	instancionem 2 ps. il skil	Commissioner Office.
	red consent? Ladest I	Addl. Deputy Commissioner (HQ) in
	- 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	respect of matters relating to HQ
		and issue other than those not
		covered by rest of the Competent
		Authorities of MCD.
	The man term of the man terms of the man	Director (Personnel) in respect of
	properties of the 1990	matters relating to Establishment

11/2	Old Sheded	Department
44.	Delhi Urban Shelter Improvement Board	Director (Admn.)
45.	St. John Ambulance Brigade	Director (Health Services)/Ex- Officio Commissioner (St. John Ambulance Brigade)
46.	Sushrta Trauma Centre	Medical Superintendent

IV. In Annexure-II to the notification dated 03/10/2001, the following shall be deleted, namely:-

S.No.	Name of the Department	Competent Authority
38.	Municipal Corporation of Delhi	Additional Commissioner (S&JJ) in respect of matters relating to Slum & JJ Department.
	CSEEMA El Disecto	Additional Commissioner (Revenue) in respect of matters relating to Land & Estate Department, Factory Licensing Department, Remunerative Projects Cell, Toll Tax Department, Advertisement Department Director (CSE) in respect of matters
		relating to Sanitation Department Additional Commissioner (HQ) in respect of matters relating to Labour Welfare Department, Community Services covered by rest of the Competent Authorities of MCD
7		Additional Commissioner (Engineering) in respect of matters relating to Central Establishment Department

by Order and in the name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

(DR. M.M. KUTTY)
PRINCIPAL SECRETARY (AR)

No. F.17/14/2003-AR/ 557-716/C Copy to:- Dated: | 6 | 61 | 12

1. All Pr. Secretaries/Secretaries/Spl. Secretaries/Joint Secretaries/Additional Secretaries/Deputy Secretaries/Under Secretaries, Govt. of NCT of Delhi

2. All Heads of the Departments, Government of NCT of Delhi

3. All Heads of Autonomous Bodies/Local Bodies/Undertakings and other institutions owned or substantially finance by the Government of NCT of Delhi

4. Pr. Secretary to Lt. Governor/Pr. Secretary to Chief Minister/Secretaries to Ministers, Government of NCT of Delhi

5. OSD to Chief Secretary, Government of NCT of Delhi

6. Dy. Secretary (Coordination), Coordination Branch, General Administration Department, Government of NCT of Delhi for publication in the Delhi Gazette.

7. Librarian, Delhi Legislative Assembly, Delhi.

(SEEMA BAWA)

(SEEMA BAWA) Deputy Director (AR) Ph. 23392422